

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) विभाग  
मंत्रालय बल्लभमवन

—: आदेश :—

२९

भोपाल दिनांक २९ जून २०११

क्रमांक एफ २(क) २९/१०/बी-३/दो, राज्य शासन द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ सुरक्षा कर्मियों को केवल वेतन (ग्रेड-पे छोड़कर) का ३० प्रतिशत की दर से विशेष वेतन निम्न शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है—

१. यह विशेष वेतन केवल उक्त दोनों प्राधिकारियों की सुरक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को देय होगा।
२. नियमित अवकाश अवधि के दौरान यह मत्ता देय नहीं होगा।
३. ग्रेड-पे रूपये ५४०० या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को इसकी पात्रता नहीं होगी।
४. यदि पदस्थापना में परिवर्तन होता है, तो तत्काल प्रभाव से यह विशेष वेतन बंद कर दिया जावे।

२— यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ क्र० ७११/७१६/ब-८/चार/११, दिनांक ०८-०६-२०११ द्वारा प्रदान की गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.वाघवानी)

अवर सचिव

म०प्र० शासन गृह विभाग

भोपाल दिनांक २९ जून २०११

२९

पृष्ठां. क्रमांक एफ २(क) २९/१०/बी-३/दो.  
प्रतिलिपि—

- १— पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
- २— प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, भोपाल,
- ३— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
- ४— आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल,
- ५— कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल,

अवर सचिव

म०प्र० शासन गृह विभाग

९८